Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 2, February-2019, ISSN 2230-7540

लाड़ली योजना : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Sonu[1]* Prof. Vishnu Bhagwan[2]

[1] Research Scholar, Department of Public Administration, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, Haryana

[2] Head of Department, Public Administration Department, Chaudhari Devi Lal University, Sirsa

सार – *दिनांक 19 नवम्बर, 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कुरूक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में लड़कियों के लिए लाडली योजना स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जीके 61वें जन्म दिवस 20 अगस्त, 2005 को षुभारंभ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 20 अगस्त, 2005 या इसके बाद परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर 5000 रुपये की राशि (2500 रुपये प्रति बेटी) प्रतिवर्ष, पांच वर्ष तक सरकार की तरफ से प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी।*

----------X----------

इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना एवं महिलाओं की जनसंख्या बढ़ाना है क्योंकि राज्य में महिला लिंगानुपात घटता जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 5000 रुपये की राशि, दूसरी बेटी के जन्म पर परिवार को किसान विकास पत्र के माध्यम से एक मास के अन्दर दी जायगी तथा इसके बाद दूसरी बालिका के जन्म दिवस पर प्रति वर्ष 5000 रुपये की राशि पांच वर्षों तक या जब तक योजना लागू रहेगी, तब तक दी जायेगी। परिपक्व राशि दूसरी बेटी के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दी जायेगी।1 जो कि इस समय की ब्याज दरों के अनुसार उस समय लगभग एक लाख रुपये हो जायेगी।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी वर्कर, सुपरवाईजर तथा स्वास्थ्य अमले के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथसमक्ष अधिकारी द्वारा जारी दूसरी लड़की के जन्म प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति लगाकर आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत आने वाली ग्रामीण व बाहरी क्षेत्र के केसिज बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा नान-आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों में सिविल सर्जन के पास जमा करवाने होंगे। यह राशि जिले के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी। आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा नॉन-आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों के लिए सिविल सर्जन संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी को केस अपनी सिफारिश सहित भेजेंगे जो 5000/ रुपये की राशि को स्वीकृत के करने उपरांत इस राशि से किसान विकास पत्रों की खरीद करेंगी। यह किसान विकास पत्र जिले से संबंधित कार्यक्रम अधिकारी, धारक को किसान विकास पत्रों में निवेश के बारे में पूर्ण विवरण संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करेगी।

लाडली योजना के अंतर्गत लाभार्थी एवं कुल खर्च की गई राशि।[2]

क्रम संख्या	वर्ष	लाभ पात्र	कुल खर्च (लाखों में)
1	2005–06	5647	282.12
2	2006–07	23726	1180.81
3	2007–08	49558	2501.18
4	2008–09	57784	2961.24
5	2009–10	102097	5200.10
6	2010–11	91629	4578.76
7	2011–12	108291	5352.21
8	2012–13	137883	6981.84
9	2013–14	97947	5022.27
10	2014–15	78676	3953.09
	कुल	753238	38013.62

योजना के उद्देश्य

- बाल विवाह रोकना ।
- महिलाओं का विकास करना।
- महिलाओं को सशक्त करना।
- लड़कियों के जन्मं को खुशी-2 स्वीकारना।
- कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को हल करना।
- लिंगानुपात के सतुंलन को पुनः प्राप्त करना।।
- लड़कियों व महिला के अनुपात की अनुमान की गई आवश्यकताओं को पूरा करना।

www.ignited.in

- राज्य में महिलाओं के घटते लिंगानुपात को सुधार के लिए लाडली योजना का शुभारंभ किया।3

लाडली योजना: लाभप्रद

- जाति, धर्म, आय तथा पुत्रों की संख्या के भेदभाव बिना सभी माता-पिता जो हरियाणा राज्य के निवासी हो या हरियाणा के अधिवासी हो, 20 अगस्त, 2005 को या उसके बाद पैदा होने वाली दूसरी लड़की के जन्म पर नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- दूसरी लड़की के माता-पिता यह किसी अन्य स्कीम जैसे कि बालिका समृद्धि योजना आदि के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हों तो भी वह इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
- यदि 20 अगस्त, 2005 या इसके बाद जुड़वां बच्चियां पैदा होती हैं तो भी परिवार इस योजना के अन्तर्गत लाभ का पात्र होगा।
- विशेष केसों में यदि किसी परिवार में 20 अगस्त, 2005 या इसके बाद जुड़वां बच्चियां पैदा होती हैं तथा इससे पहले भी एक जीवित बड़ी लड़की है तो उस परिवार को 3 लड़कियों के लिए 7500 रुपये का लाभ (2500 प्रति लड़की) दिया जायेगा।[4]

लाभपात्रों की छानबीन

महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों के अधिकारी द्वारा राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र जो कि समेंकित बाल विकास सेवाएं (आई. सी. डी. एस.) के अन्तर्गत किया जा रहा हैं तथा लाडली योजना (आपकी बेटी हमारी बेटी) के माध्यम से लाभपात्रों की पहचान की जाएगीतथा शेष नॉन आई. सी. डी. एस. क्षेत्र में लाभपात्रों की पहचान का कार्य जिले के मुख्य चिकित्सक द्वारा किया जाएगा। परिवार में लड़कियों की सख्यां से सम्बंधी सूचना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों पर आई. सी. डी. एस. योजना चलाई जा रही है। उनमें आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों द्वारा आई. सी. डी. एस. क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।[5]

इस योजना के तहत 2005-06 से लेकर अब तक 1.65.00 लोगों को लाभ दिया गया है जिस पर 236.71 करोड़ की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2011-12 के दौरान 23.918 लाभार्थियों को लाभ दिया गया जिस पर 53.52 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2012-15 के दौरान 95000 लाभार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

लाभ को वापिस लेने की प्रक्रिया

किसी भी स्तर पर लाभार्थी को दिए गए लाभ को सक्षम अधिकारी द्वारा वापिस लिया जाएगा। यदि यह लाभ गलत व झूठी सूचनाओं के आधार पर स्वीकृत किया गया हो। प्रार्थी द्वारा गलत सूचना देने पर उस पर अभियोग चलाया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत किसान विकास पत्रों में निवेश की गई राशि किसी कानूनी न्यायालय में कुर्क नहीं की जाएगी।

लड़कियों में से किसी एक की मृत्यु होने पर दिया जाने वाला लाभ बन्द कर दिया जाएगा।

18 वर्ष से कम आयु में लड़कियों की शादी होने पर इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

लाडली योजना के तहत प्रतिवर्ष लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी का विवरण

तालिका 1.1

Sr. No.	Name of the District	2005-06		2006-07			2007-08			
		1st	TOTAL	1st	2nd	TOTAL	1st	2nd	3rd	TOTAL
1	Fatehabad	260	**260**	662	377	**1039**	1109	870	397	**2376**
2	Hissar	460	**460**	1572	267	**1839**	1428	1901	290	**3619**
3	Jind	346	**346**	1258	341	**1599**	1644	1241	340	**3225**
4	Sirsa	191	**191**	1035	420	**1455**	1200	1000	443	**2643**
	Total	**1257**	**1257**	**4527**	**1405**	**5932**	**5381**	**5012**	**1470**	**11863**

तलिका 1.2

Sr. No.	Name of the District	2008-09						2009-10						2010-11					
		1st	2nd	3rd	4th	5th	TOTAL	1st	2nd	3rd	4th	5th	TOTAL	1st	2nd	3rd	4th	5th	TOTAL
1	Fatehabad	1172	380	455	508	0	**2515**	552	1909	1185	714	600	**4960**	**1100**	**1000**	**400**	**250**	**150**	**2900**
2	Hissar	2466	1221	827	9	0	**4523**	3900	2725	2094	1169	140	**10028**	**1925**	**2446**	**2136**	**1567**	**934**	**9008**
3	Jind	1345	1330	1002	0	0	**3677**	2946	1635	1850	1576	340	**8347**	**1384**	**1992**	**1311**	**783**	**658**	**6128**
4	Sirsa	1119	1014	946	340	0	**3419**	1663	808	1142	1055	311	**4979**	**1406**	**1238**	**996**	**936**	**882**	**5458**
	Total	**6102**	**3945**	**3230**	**857**	0	**14134**	**9061**	**7077**	**6271**	**4514**	**1391**	**28314**	**5815**	**6676**	**4843**	**3536**	**2624**	**23494**

लाडली योजना के तहत प्रतिवर्ष लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी का विवरण

तालिका 1.3

Sr. No.	Name of the District	2011-2012						2012-2013						2013-2014					
		1st	2nd	3rd	4th	5th	TOTAL	1st	2nd	3rd	4th	5th	TOTAL	1st	2nd	3rd	4th	5th	TOTAL
1	Fatehabad	1452	741	654	869	476	**4192**	1145	1425	1579	1614	1428	**7191**	**1157**	**267**	**444**	**638**	**730**	**3236**
2	Hissar	1353	1609	2147	2226	1802	**9137**	2407	2112	2438	2281	1494	**10732**	**2096**	**927**	**1319**	**1615**	**1395**	**7352**
3	Jind	1954	1885	1725	1512	1462	**8538**	1865	2194	2442	2251	2263	**11015**	**1978**	**1285**	**1360**	**1304**	**1243**	**7170**
4	Sirsa	1410	1460	1223	1126	690	**5909**	1329	1320	1430	1505	910	**6494**	**1598**	**947**	**728**	**728**	**1310**	**5311**
	Total	**23918**	**24449**	**23998**	**18821**	**17105**	**108291**	**6746**	**7051**	**7889**	**7651**	**6095**	**35432**	**6829**	**3426**	**3851**	**3851**	**4678**	**23069**

तलिका 1.4

Sr. No.	Name of the District	2014-15						2015-16					
		1st	2nd	3rd	4th	5th	TOTAL	1st	2nd	3rd	4th	5th	TOTAL
1	Fatehabad	1635	2125	1292	761	312	**6125**	608	477	573	480	413	**2551**
2	Hissar	1751	1341	1262	1568	2256	**8178**	2108	956	866	1026	463	**5419**
3	Jind	1472	1412	1549	1328	835	**6596**	1116	983	1077	1032	1074	**5282**
4	Sirsa	1260	1494	1545	1451	1445	**7195**	1159	1417	1622	1588	1539	**7325**
	Total	**6118**	**6372**	**5648**	**5108**	**4848**	**28094**	**4991**	**3833**	**4138**	**4126**	**3489**	**20577**

www.ignited.in

लाडली योजना का बदलता स्वरूप

वर्तमानमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 8 मार्च 2015 को लाडली योजना (आपकी बेटी हमारी बेटी) में परिवर्तित करने का शुभारम्भ किया। लाडली योजना को 22 जनवरी 2015 को आपकी बेटी हमारी में विलय कर दिया गया है। यह हर्ष का विषय है कि हरियाणा सरकार द्वारा एल.आई.सी. के माध्यम से लड़कियों के कल्याण हेतू आपकी बेटी हमारी बेटी की शुरूआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण-हत्या समाप्त करना, शिशु लिंगानुपात को बढाना तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना को राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जायेगा।

योजना में पंजीकरण

पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म आंगवाड़ी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र पर मुफ्त उपलब्ध होगा। पूरी तरह से भरे हुए आवेदन फार्म के साथ लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, टीकाकरण कार्ड और आधार नं आंगनवाड़ी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारी के पास जमा करवाना होगा। योजना के अन्तर्गत पंजीकरण लड़की के जन्म के एक महीने के अन्दर होना चाहिए, पर अधीक से अधीक एक साल के दौरान होना चाहिए।

पात्रता

योजना के अंतर्गत लाभपात्रों के लिए निम्न मापदण्ड होंगें:

- अनुसूचित जाति से सम्बन्धित परिवारों में 22 जनवरी 2015 व उसके बाद पैदा होने वाली पहली लड़की के खाते में 21000 रूपये की राशि एक मुश्त जमा की जायेगी।
- गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारों में 22 जनवरी 2015 व उसके बाद पैदा होने वाली पहली लड़की के खाते में 21000 रूपये की राशि एक मुश्त जमा की जायेगी।
- जाति, धर्म, आय तथा पुत्रों की संख्या के भेदभाव बिना सभी परिवारों में 22 जनवरी 2015 व उसके बाद पैदा होने वाली दूसरी लड़की के खाते में 21000 रूपये की राशि एक मुश्त जमा की जायेगी।
- जाती, धर्म, आय तथा पुत्रों की संख्या के भेदभाव बिना सभी परिवार में 22 जनवरी 2015 या उसके पश्चात् जन्मी जुड़वा/या इससे अधिक लड़कियों को प्रति लड़की 21000 रूपये की राशि जमा की जायेगी।
- बेटी के माता-पिता हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो तथा माता-पिता में से एक बेटी के साथ हरियाणा में निवास करता हो।
- गर्भवती महिला को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा स्वास्थ्य विभाग केन्द्र में पंजीकरण करवाना होगा।
- सभी लाभार्थी लड़कियों का जन्म पंजीकरण अनिवार्य है।
- योजना में पंजीकरण हेतू बेटी का आधार न0. मान्य होगा परन्तु बेटी का आधार न0. न होने की स्थिति में माता-पिता का आधार न0 भी मान्य होगा।
- माता-पिता को कन्या का सही तथा समयबद्ध टीकाकरण सुनिष्चित करना होगा तथा टीकाकरण का रिकार्ड फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
- लाभार्थी लड़की का आंगनवाड़ी केन्द्र में उनकी आयु अनुसार पंजीकरण करवाना होगा।
- लाभार्थी लड़की का योजना के अन्तर्गत पंजीकरण उसकी माता के माध्यम से करवाया जायेगा यदि माता जीवित नहीं है तो पिता के माध्यम से पंजीकरण करवाया जायेगा यदि लाभार्थी लड़की के माता-पिता जीवित नहीं है तो लाभार्थी लड़की के अविभावक के माध्यम से पंजीकरण करवाया जायेगा।
- लाभार्थी कन्या के प्रार्थना पत्र को पंजीकरण करवाने हेतु अधिकतम सीमा लड़की के जन्म तिथि के एक वर्ष तक होगी।
- लाभार्थी लड़की का प्रार्थना पत्र उसके माता/पिता/अभिभावक द्वारा जमा कराये जाने के एक माह के अन्दर-2 एक मुष्त राशि उसके खाते में जमा कर दी जायेगी।
- आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थी लड़कियों हेतू देय राशि जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई.सी.डी.एस) द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, चण्डीगढ़ में निवेश की जायेगी।

- यदि लाभार्थी कन्या की मृत्यु 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले हो जाती है तो लाभार्थी लड़की की पात्रता योजना के अन्तर्गत रद्द कर दी जायेगी तथा उसके नाम पर निवेश राशि ब्याज सहित विभाग के प्राप्ति शीर्ष खाते में जमा कर दी जायेगी।

योजना में देय लाभ

इस योजना में लाभार्थी के खाते में कुल संचित राशि उसके 18 वर्ष पूर्ण होने पर ब्याज सहित देय होगी बशर्ते की लाभार्थी लड़की अविवाहिता हो। संचित राशि पर ब्याज निकासी की तिथि तक देय होगा।[7]

आपकी बेटी हमारी बेटी के अन्तर्गत लाभपात्र की संख्या एवं खर्च की गई राशि वर्ष 2015-16 के अनुसार।[8]

क्र0.स0.	जिले का नाम	लाभपात्रों की संख्या	प्रति लाभपात्र को दी गई 21000 रू. संख्या	राशि
1	अम्बाला	875	875	18375000
2	भिवानी	1000	683	14343000
3	फरीदाबाद	2120	113	2373000
4	फतेहाबाद	750	456	9576000
5	गुरूग्राम	718	718	15078000
6	हिसार	650	475	9975000
7	झज्जर	650	550	11550000
8	जीन्द	1202	879	18459000
9	कैथल	4663	71	1491000
10	करनाल	607	401	8421000
11	कुरूक्षेत्र	1672	561	11781000
12	मेवात	1300	431	9051000
13	नारनौल	133	133	2793000
14	पलवल	450	150	3150000
15	पंचकुला	431	223	4683000
16	पानीपत	702	405	8505000
17	रेवाड़ी	513	464	9744000
18	रोहतक	663	294	6174000
19	सिरसा	1383	190	3990000
20	सोनीपत	1509	920	19320000
21	यमुनानगर	870	832	17472000
	कुल	**22861**	**9824**	**206304000**

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दैनिक भास्कर, चण्डीगढ़, 16 सितम्बर 2005 पृ. स.-4
2. लाडली (2015) महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा पृ. स. 5
3. हरियाणा में पंचायती राज्य एवं ग्रामीण विकास पृ. स. 223
4. महिला एवं बाल विकास विभाग (2014-15) ''लाडली'' सैक्टर-4 पंचकुला, हरियाणा पृ. स. 1-5
5. प्रीति (2017) लाडली योजना लोक प्रशासन विभाग महार्षि दयानन्द विश्वविद्यालय लघु शोध पृ. स. 38
6. प्रिया अरोड़ा (2008) "लाडली योजना का क्रियान्वयन: सिरसा जिले का अध्ययन'' लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, लघु शोध पृ. स. 57
7. महिला एवं बाल विकास विभाग (2015), "आपकी बेटी हमारी बेटी" भारतीय जीवन बीमा निगम व समूह योजना विभाग जीवन प्रकाशन, 17 बी चण्डीगढ़, पृ. स. 1
8. महिला एवं बाल विकास विभाग, सैक्टर-4 पंचकुला, हरियाणा

Corresponding Author

Sonu*

Research Scholar, Department of Public Administration, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, Haryana

shivhooda13411@gmail.com